

आज अदालत

पक्ष वज्र नं. 83/का. 1

किस्म मुकदमा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुकम

20.7.21

प्रार्थना पत्र 80(2) सी पी सी के तहत वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी पी सी पर वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्र नं. दिनांक 18.8.21 को पेश हो।

18.8.21

पत्रावली पेश हुई। सभी प्रतिवादीगण के जोरिस बाद तामील संलग्न हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार जैन ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया। प्रकलन दिलायी। प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 6 की ओर से वकील सुश्री शरुमणी मीणा ने वकालतनामा पेश किया है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण सं. 3 से 6 के लिए दि. 15.9.21 को पेश हो।

15/9/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अधिवान के तहत केम्प कोर्ट नं. 11/10/21 को खानपुरा में पेश हो।

11/10/21

पत्रावली केम्प कोर्ट खानपुरा में पेश हुई। वादी उपरिचर हैं। वादी ने वाद को विद्रो करने हेतु निवेदन किया। वादी के हस्ताक्षर करवाये गए। वादी के निवेदन को स्वीकार किया जात है। वाद विद्रो किये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तामील कारिबल दफ्तर हो। नियोच सुनाया गया।

वाद विद्रो करना
चाहता हूँ। विद्रो
के आधार पर
खारिज किया
जाए।

उपखण्ड अधिकारी
नैजवां (बुन्दी)

पक्षवा

